बिन्दु क्रमांक –1

कार्य एवं कर्तव्य

- कार्य :–

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयोजन हेतु और स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिए और उससे संसक्त एंव अनुषगिंक अन्य विषयों के लिए एक संस्थान की स्थापना और निगमन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

संस्थान के कार्य एंव कर्तव्य निम्नलिखित है।

(एक) संस्कृत भाषा और साहित्य में सन्निहित ज्ञान विज्ञता और दृष्टिशक्ति का प्रसार करना

(दो) संस्कृत भाषा और साहित्य के अध्ययन से सम्बद्ध स्कूल शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित ,प्रोन्नत एंव सचांलित करना ;

(तीन) संस्कृत की शिक्षा के परम्परागत रीति से किये जा रहे अध्ययन को और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए संस्कृत पाठशालाओं के बीच परस्पर समन्वयन को प्रोन्नत करना और संस्कृत शिक्षा को पांरपरिक और आधुनिक पद्धतियों के बीच लय स्थापित करना ;

(चार) सतत् शिक्षा ,पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संस्कृत से संबधित रोजगारन्मुखी पाठयक्रम प्रारंभ करना;

(पांच) सामान्य संस्कृत और विशिष्ट रूप से प्राच्य संस्कृत का अध्ययन पाठ्यक्रम विकसित करना ;

(छः) संस्कृत पर विशेष बल देते हुये भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में अध्ययन और गवेषणा की सुविधाएं उपलब्ध कराना ;

(सात) संस्कृत और इसके साहित्य तथा संस्कृत के ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं से सम्बधित अध्यापन ,प्रशिक्षण और गवेषणा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के एक केन्द्र के रूप में विकसित करना ;

(आठ) संस्कृत और इसके साहित्य प्राच्य संस्कृत को सम्मिलित करते हुए संस्कृत में ज्ञान की सम्बद्ध शाखाओं के अध्ययन के लिय संस्कृत स्कूलों की स्थापना करना ;

(नौ) उत्तरमध्यमा (उच्चतर माध्यमिक) स्तर तक संस्कृत शिक्षा से सम्बधित शिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना;

(दस) नवाचार सहित संस्कृत शिक्षा को प्रयोज्य प्रणाली विज्ञान का विकास करना और उसका संचालन करना ; और

(ग्यारह) संस्कृत की अनौपाचिरक शिक्षा को बढावा देना .

- <u>कर्तव्य</u>

(1) इस अधिनियम के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुये संस्थान , निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं मे जैसी कि संस्थान ठीक समझे तथा संस्कृत और उसके साहित्य तथा ज्ञान की सहबद्व शाखाओं से संबधित अध्ययन पाठ्यक्रमों में जिसमें पत्राचार पाठयक्रम भी सम्मिलित है ,अध्यापन तथा शिक्षण का उपबंध करना ;

(ख) संस्कृत में शोध हेतु उपबंध करना, विशेष पाठयक्रम संचालित करना और संस्कृत और उसके साहित्य एवं सहबद्ध शाखाओं के ज्ञान को आगे बढाना और उसका प्रसार करना ;

(ग) संस्थाओं, स्कूलों विभागो अथवा विशिष्ट अध्ययन केन्द्रो की स्थापना करना, उनका संधारण करना और प्रबंध करना।

(घ) संस्कृत स्कूलो अथवा पाठशालाओं को सम्बद्धता प्रदान करना, उसे वापस लेना अथवा उसे उपातंरित करना ;

(ड.) संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षण पाठयक्रम अधिकथित करना।

(च) प्रमाणपत्र तथा विद्या संबधी अन्य विशिष्टताएं और पदवी प्रदान करना ;

(छ) परीक्षाएं या परीक्षण आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को प्रमाणपत्र प्रदान करना जिन्होने अनुमोदित अध्ययन पाठयक्रमों के अनुसार ऐसे संस्थान में अथवा ऐसे स्कूल में अध्ययन किया हो, जिसे कि संस्थान के विशेषाधिकार दिये हों, तथा जिन्होने संस्थान द्वारा विहित परीक्षाएं और परीक्षण ऐसी रीति में उत्तीर्ण की हों जो कि विनियमों द्वारा विहित की जायें।

(ज) संस्थान द्वारा प्रदान किये गये किसी प्रमाणपत्र को , ऐसी रीति में, जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाएं, वापस लेना अथवा निरस्त करना;

(झ) संस्थान के उददेश्यों को अग्रसर करने के लिये सम्मेलन, गोष्ठियां, कार्यशालाएं, पुनश्चर्या पाठयक्रम तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करना;

(ञ) अभिलेखागार , पुस्तकालय सूचनाकेन्द्र , डाटा बैक, संग्रहालय तथा ऐसी अन्य संस्थायें , जो कि संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने में उपयोगी हो , संधारित करना ;

(ट) संस्कृत में किये गये मूल्यावान कार्यो को पुनः प्रस्तुत करने के लिये प्राचीन पाण्डुलिपियों को एकत्रित करना , उनका संरक्षण करना , उनका संपादन करना तथा उन्हें प्रकाशित करना ;

(ठ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा किसी व्यक्ति , संगम या निगमित निकाय से संदान ,अनुदान , दान स्वीकार करना अथवा धन उधार लेना;

परंतु धन उधार लेने की शक्ति का प्रयोग मध्यप्रदेश सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात ही किया जावेंगा।

(ड.) संस्कृत के प्रोन्न्यन के लिये विन्यास संस्थित करना , धारित करना और उसका प्रबंध करना ;

(ढ) संस्कृत के उन्नयन और प्रसार के लिये पुरूस्कार (अवार्ड), अध्येतावृत्तियां छात्रवृत्तियां , अध्ययनवृत्तियां ,पारितोषिक (प्राइज) ,पदक (मैडल) संस्थित करना;

(ण) ऐसे प्रयोजनों के लिये संस्थाओं या व्यक्तियों को जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढाने के लिए सहायक हों, वित्तीय और अन्य सहायता देना ;

(त) सम्बद्ध स्कूलों का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के उपाय करने के उपाय करना कि उनमें शिक्षण , अध्यापन और प्रशिक्षण के उचित मानक बनाये रखे जाते है तथा उनमें पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध की जाती है।

(थ) सम्बद्ध स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली फीस विनियमित करना;

(द) अन्य संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राईवेट निकायों के साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिये सहयोग करना जैसा कि संस्थान अवधारित करें;

(ध) संस्थान के आंतरिक वित्तीय संसाधनों को विकसित करना ;

(न) संस्कृत, शिक्षा से संबधित से विषयों के बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करना ।

(प) राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन से शैक्षणिक , तकनीकी प्रशासनिक , अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजित करना तथा संस्थान के लिये उनमें नियुक्ति करना ;

(फ) बच्चो के लिये संस्कृत में साहित्य , गीत और पत्रिकाओं के प्रकाशन को बढावा देना;

(ब) संस्थान द्वारा ,स्थापित , संधारित ,प्रबंधित या सम्बद्ध स्कूलों और संस्थाओं में विहित किए गये अध्ययन पाठ्यक्रम की पाठ्यपुस्तकों की सिफारिश करना तथा पाठ्य विवरण का प्रकाशन करना ;

(भ) ऐसी फीस तथा अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना ,जो विनियमों द्वारा विहित किये जाएं।

(म) संस्थान द्वारा स्थापित ,संधारित , प्रंबधित या सम्बद्ध स्कूलो तथा संस्थाओं में विद्यार्थियों के शारीरिक नैतिक तथा सामाजिक कल्याण के अभिवर्धन के उपाय अंगीकृत करना और उनके छात्रावासों के लिए शर्ते विहित करना ;

(य) संस्थान के शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रलाभ के लिये ऐसी रीति में, और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुये जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं,पेशंन,बीमा, भविष्य निधि और उपदान गठित करना, और ऐसे अनुदान देना, जैसा कि उचित समझे ;

(कक) स्कूलों मे संस्कृत की शिक्षा का प्रचार करने की दृष्टि से शिक्षण पाठयक्रम और प्राथमिक ,पूर्व माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षा के पाठ्य विवरण के बारे में राज्य सरकार को अनुशंसा करना , और

(कख) ऐसे समस्त अन्य कार्य तथा बातें करना, जो संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक हो या जो उनके आनुषांगिक या सहायक हों।